फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारायण लाल   विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 251"क" रा.का. अधिनियम   पत्रावली संख्या : 18/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 22.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपरोकार उपस्थित। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रकरण के अवलोकन से पाया कि प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 2710/2369 कुल किता 1 रकबा 0.5400 हेक्टयर भूमि में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 2708/2369 भूमि में से होकर 30 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया है। आराजी नम्बर 2708/2369 बिलानाम भूमि है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिए नही होना बताया है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता है। उक्त रास्ता 109.80 वर्ग मीटर होकर डीएलसी दर 5573669/– प्रति हेक्टयर के हिसाब से रास्ते की राशि 61200/– रूपये होना बताया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि मे से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान मे बिलानाम भूमि है। चूंकि प्रार्थी के भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नही गुजरता हैं जिससे रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतित होता है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव की आराजी नम्बर 2710/2369 कुल किता 1 रकबा 0.5400 हेक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 2708/2369 रकबा 0.0900 हेक्टेयर मे से (12 X 9.15) 109.80 वर्ग मीटर भूमि का संलग्न (प्रस्तावित) राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 5573669/– अक्षरे पचपन लाख तियोत्तर हजार छः सौ उनसत्तर रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 109.80 वर्ग मीटर की कुल कीमत 61200/– का दुगुना 122400/– रूपयें एक लाख बाईस हजार चार सौ रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई [illegible] अदा करने के पश्चात इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर [illegible] ता दर्ज किया जावें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी [illegible] हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता काय[illegible]र्वजनिक [illegible] से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता का[illegible] करें। पा[illegible] हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। [illegible] होकर नम्बर से कम [illegible]

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:22:12 IST
Reason: SelfAttested